राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

शिवदयाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	243/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | पैरोकार सरकार उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर निर्णय दिनांक 23/03/2006 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में धारा 42(बी) का उल्लघन होना प्रथमदृष्टया जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार ार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/03/2006 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |